

परसीमन पर दक्षणि भारतीय राज्यों की चतिा

प्रलिमिस के लयि:

परसीमन, परसीमन आयोग, लोकसभा।

मेन्स के लयि:

भारतीय संवधान, लोकसभा में सीटों की कमी के कारण दक्षणि राज्यों की समस्याएँ और सफिरशिं, वैधानिकी नियाय, परसीमन प्रक्रया।

चर्चा में क्यों?

जैसा कि भारत अगली जनगणना की तैयारी कर रहा है, यह प्रयवेक्षण का विषय है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों की लोकसभा सीटों का परसीमन और केंद्रीय धन का एक छोटा हसिसा आवंटित करना उन दक्षणि राज्यों के लयि अनुचित हो सकता है, जिन्होंने उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में परवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया है।

- तरक्क यह है कि दक्षणि राज्यों को उनकी सफलता पर हतोत्साहित किया जाने के बजाय जनसंख्या वृद्धिको नियंत्रित करने के उनके प्रयासों के लयि पहचाना और पुरस्कृत किया जाना चाहयि। हालाँकि राष्ट्रीय परसीमन प्रक्रया ने लोकसभा में राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व के बारे में चतिा को उजागर किया है।

परसीमन:

- परचिय:**
 - परसीमन से तात्पर्य कर्सी देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु कर्सी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लयि नियोजन क्षेत्र की सीमाओं का नियोजन करना है।
 - परसीमन आयोग अधनियम, 1952 में अधनियमति किया गया था।
 - केंद्र सरकार अधनियम लागू होने के बाद परसीमन आयोग का गठन करती है।
 - 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियमों के तहत चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 एवं 2002 में परसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
 - पहला परसीमन वर्ष 1950-51 में राष्ट्रपति द्वारा (चुनाव आयोग की मदद से) किया गया था।
- पृष्ठभूमि:**
 - लोकसभा की राज्यवार संरचना को बदलने वाला अंतमि परसीमन प्रयास वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1976 में पूरा हुआ।
 - भारत का संवधान** यह आदेश देता है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहयि ताकि सभी राज्यों में सीटों का जनसंख्या से अनुपात समान हो। इसका उददेश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्तिके वोट का मूल्य लगभग समान हो, भले ही वे कर्सी भी राज्य में रहते हों।
 - हालाँकि इस प्रावधान से जनसंख्या नियंत्रण में कम दलिचस्पी लेने वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं।
 - इन परणियों से बचने के लयि वर्ष 1976 में इंदरि गांधी के आपातकालीन शासन के दौरान वर्ष 2001 तक परसीमन को निलंबित करने हेतु संवधान में संशोधन किया गया था। एक अन्य संशोधन ने इसे वर्ष 2026 तक स्थगति कर दिया। यह आशा की गई थी कि देश इस समय तक एक समान जनसंख्या वृद्धिदर हासिल कर लेगा।
- आवश्यकता:**
 - जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
 - भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों की अपेक्षा लाभ न हो।
 - "एक वोट एक मूल्य" के सदिधांत का पालन करना।
- संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधनियम बनाती है।

- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

परसीमन आयोग (Delimitation Commission):

- नियुक्ति:
 - आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारत नियोजन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- संरचना:
 - उच्चतम न्यायालय का एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश
 - मुख्य नियोजन आयकता
 - संबंधित राज्यों के नियोजन आयकता
- कार्य:
 - सभी नियोजन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करने के लिये नियोजन क्षेत्रों की संख्या और सीमा को नियंत्रित करना।
 - ऐसे क्षेत्र जहाँ सापेक्षकि रूप से अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है, को उनके लिये आरक्षित करना।
- शक्तियाँ:
 - यदि आयोग के सदस्यों के विचारों में मतभेद है तो नियंत्रण बहुमत के आधार पर लिया जाएगा।
 - भारत का परसीमन आयोग एक शक्तिशाली नियोजन कानूनी रूप से लागू किया जाते हैं तथा ये नियंत्रण किसी भी न्यायालय में बाद योग्य नहीं होते।

दक्षणी राज्यों हेतु परसीमन कसि प्रकार अनुचित है?


- विकास:
 - 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से दक्षणी राज्यों की आरक्षित स्थिति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। वर्ष 1990 के दशक से पहले उत्तरी राज्य आय और गरीबी के सतर के मामले में दक्षणी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में दक्षणी राज्यों ने अपने आरक्षित प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके कारण गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है और आय के सतर में वृद्धि हुई है।
 - इस आरक्षित बदलाव का इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है तथा दक्षणी राज्यों की वृद्धि एवं विकास में मदद मिली है।
 - केवल तीन राज्यों - कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पूर्व के 13 राज्यों से अधिक है।
- शैक्षणिक और स्वास्थ्य परिणाम:
 - पछिली शक्षिका की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अँकड़ों से पता चलता है कि दक्षणी राज्यों ने स्कूलों में नामांकित बच्चों के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है और उनके उत्तरी समकक्षों की तुलना में सीखने के बेहतर परिणाम आए हैं।
 - इसके अलावा दक्षणी राज्यों में स्नातकों का एक उच्च अनुपात कौशल के एक विशिष्ट सेट के अधिक प्रसार को इंगति करता है।
 - उदाहरण के लिये वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की केवल 5% आबादी स्नातक थी, जबकि तमिलनाडु में लगभग 8% आबादी स्नातक थी।
 - कोवडि-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु में दसिंचर 2021 तक 78.8 मिलियन की आबादी के लिये 314 परीक्षण केंद्र थे और उत्तर प्रदेश में 235 मिलियन की आबादी के लिये केवल 305 कोवडि परीक्षण केंद्र थे, जो स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थे।
- शासन संबंधी कारक:
 - यदि दक्षणी राज्यों में शक्षिका और स्वास्थ्य के परिणाम बेहतर हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि वहाँ प्रखने और नियंत्रण लेने की क्षमता की गुणवत्ता काफी बेहतर होनी चाहिये।
 - दक्षणी राज्यों में बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और उच्च नागरिक स्तरियता से पता चलता है कि वहाँ के मतदाताओं की उत्तर की तुलना में बेहतर शासन के लिये मतदान करने की अधिक संभावना है।
- उत्तरी राज्यों के लिये लाभ:
 - जनसंख्या पैटर्न के आधार पर राज्यों में संसदीय नियोजन क्षेत्रों का मौजूदा वितरण उत्तर प्रदेश, बहिर जैसे आबादी वाले राज्यों के पक्ष में झुका हुआ है, जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे दक्षणी राज्यों में सीटों की संख्या कम है।
 - यदि परसीमन होता है, तो अगले परसीमन प्रक्रिया के दौरान दक्षणी राज्यों को उत्तरी राज्यों की तुलना में उन्हें आवंटित सीटों की संख्या में कमी का सामना करना पड़ेगा।
 - इसलिये चुनावी प्रतिनिधित्व के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोगों की संख्या नहीं अपार्टु उनकी गुणवत्ता है जो नियंत्रण कारक होनी चाहिये।

इस संबंध में मुद्दे:

- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: वर्ष 2019 के शोध पत्र इंडियाज़ इमरजेंसी क्राइसिस ऑफ रिपोर्टेशन के अनुसार, यदि परसीमन को जनगणना (2026 के बाद सबसे पहले नियंत्रित) वर्ष 2031 के अनुसार किया जाता है, तो अकेले बहिर और उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 21 सीटों का लाभ होगा, जबकि तमिलनाडु तथा कर्नाटक को कुल मिलाकर 16 सीटों का नुकसान होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रभावित करना: परसीमन और सीटों के पुनः आवंटन से न केवल दक्षणी राज्यों को सीटों का नुकसान हो सकता है, बल्कि उत्तर में उनके समर्थन वाले राजनीतिक दलों के लिये सीटों में वृद्धि का कारण भी हो सकता है। यह संभावित रूप से उत्तर की ओर और दक्षणी से दूर शक्ति के बदलाव का कारण बन सकता है।

- यह कवायद प्रत्येक राज्य में अनुसूचिति जाति और अनुसूचिति जनजाति के लिये आरक्षणि सीटों के वभाजन को भी प्रभावित करेगी।
- **अपराधित धन:** 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना को अपनी सफिरशि के आधार के रूप में प्रयोग करने के बाद्दक्षणी राज्यों द्वारा संसद में धन एवं प्रतनिधित्व कम होने के बारे में चिताई उठाई गई।
 - इससे पहले वर्ष 1971 की जनगणना का उपयोग राज्यों को वित्तपोषण और कर हस्तांतरण सफिरशिओं के आधार के रूप में प्रयोग किया गया था।
- **जनसांख्यकीय लाभांश:** आपातकाल के दौरान वर्ष 2001 की जनगणना तक के लिये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में सीटों के संशोधन को नलिंबित कर दिया गया था। [संविधान \(84वें संशोधन\) अधिनियम, 2001](#) के अनुसार, यह प्रतबिधि वर्ष 2001 में संसद द्वारा 2026 के बाद की दशकीय जनगणना तक बढ़ाया गया था, जो 2031 के लिये निरिधारित है।
 - यद्विवर्ष 2031 के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का नियन्य लिया जाता हैतो विधायिका और नीतिनिरिधारकों को पछिले 60 वर्षों के दौरान देश के जनसांख्यकीय एवं राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा।

EXPANDING THE LOK SABHA USING 2026 POPULATION PROJECTIONS



SOURCE: Office of the Registrar General, 2006; and authors' calculations.

NOTE: Calculations use projected population figures while ensuring no state loses seats during reapportionment.

II

सुझाव:

- **एक ठोस योजना का निर्माण:** राजनीतिक अथवा नीतिगत चुनौतियों के कारण बना कसी और देरी के वर्ष 2031 के बाद संसाधनों को फरि से

- आवंटति करने की दृढ़ प्रतिबिधिता। यह वित्त और प्रतनिधित्व के मामले में दक्षणी राज्यों के लिये नशिचतिता और स्थिरता प्रदान करेगा।
- सीटों की संख्या में वृद्धि:** लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि किये जाने से लाभ यह है कि **संसद सदसय** (सांसद) छोटे निवाचन क्षेत्रों का प्रतनिधित्व कर सकेंगे। अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से नियन्य लेने के लिये प्रशासनिक एजेंसियों पर बड़ी आबादी का बोझ नहीं पड़ेगा, जिसके परणामस्वरूप शासन अधिक कुशल होगा।
 - जैसा कि राजनेताओं के लिये विशेष क्षेत्रों या राज्यों में सीटों को छोड़ देने के बजाय सीटों को बढ़ाने के लिये सहमत होना आसान है, सीटों की संख्या में वृद्धि को राजनीतिकी रूप से अधिक व्यवहार्य बनिल्प माना जाता है।
- मौजूदा स्थितिको बनाए रखना:** संसद में सीटों की कुल संख्या बढ़ाने को लेकर यह सुनिश्चित करने के लिये विचार किया जा सकता है कि कोई भी राज्य वरतमान में मौजूद सीटों को नहीं खोता है। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन हो सकता है।
- प्रयाप्त प्रतनिधित्व:** खबरों के मुताबिक, सेंट्रल वसिटा प्रोजेक्ट के नए लोकसभा डिजिटल सदन में कम-से-कम 888 सीटों को ध्यान में रखते हुए नियमांकन करने का निर्देश दिया गया था।
 - यह सभी राज्यों को प्रयाप्त प्रतनिधित्व की सुवधा प्रदान करेगा और कसी भी राज्य की मौजूदा सीटों की संख्या में कमी को रोकेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-concern-of-south-indian-states-on-delimitation>

